

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/15/ 326

दिनांक:- 7/05/15

:- आदेश :-

निम्नलिखित चिकित्सक आर.एम.एस.सी., जयपुर के अधीन जिला औषधि भण्डार गृहों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे वर्तमान में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स में चयन होने पर आर.एम.एस.सी., जयपुर द्वारा इनको कार्यमुक्त कर मूलरूप से चिकित्सा विभाग के नियन्त्रणाधीन होने के कारण इनका वेतन आहरण करने में कठिनाइया उत्पन्न होने के फलस्वरूप इनका वेतन आहरण करने हेतु इनके नाम के सम्मुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अधीन रिक्त समकक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु चयनित चिकित्सक का नाम	जिले का नाम
1.	डॉ० ललित किशोर मोर्य, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, सीकर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
2.	डॉ० सुरेश वीरवाल, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, गृह चित्तौड़गढ़।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़
3.	डॉ० अनिल कुमार जून्दिया, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, जालोर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर
4.	डॉ० कमल किशोर शर्मा, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, अलवर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
5.	डॉ० शिवचरण मीणा, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, दौसा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
6.	डॉ. मनीष टांक, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, जोधपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
7.	डॉ० गोविन्द राम दईया, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, सिरोही।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
8.	डॉ० शिम्भू कछावा, प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, डूंगरपुर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

0141- 2225291

adldirgaz@gmail.com

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस. सी., जयपुर को पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 20.04.2015 के क्रम में सन्दर्भ में।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक अधिकारी/मेडिकल कॉलेज/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चिकित्सकों के वेतन आहरण संबंधी दस्तावेज संबंधित को प्रस्तुत करें।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
9. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
10. संबंधित चिकित्सक
11. आदेश /निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर